न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र व मूल वादपत्र पर सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रकरण में बहस एतराज प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2022 व मूल वादपत्र पर वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2022 एंव मूल वाद पत्र पत्रावली दिनांक 05.02.2024 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05.02.2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2022 एंव मूल वादपत्र हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र एतराज प्रारम्भिक डिक्री पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2022 को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है। जिसका निर्णय आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत एतराज विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.05.2022 का विस्तृत निर्णय मूल वादपत्र के निर्णय में लिखा जा चुका है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1418/भू.अ./22 दिनांक 25.05.2022 के [illegible] प्रा[illegible] विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को [illegible] जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/02/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
95/2019	2023/153	10.06.2016	05.02.2024

उनवान प्रकरण

1. भींवा पुत्र छाजुराम
2. मालीराम पुत्र छाजूराम
3. बनवारी पुत्र छाजूराम
4. धुड़ाराम पुत्र छाजूराम
5. मन्नी देवी पत्नि छाजूराम
6. मालीराम पुत्र छाजूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–वादीगण–

बनाम्

1. सुरजमल पुत्र स्व0 कजोड़ (मृतक के बजाय)

1/1 फूली देवी पत्नि स्व0 सुरजमल

1/2 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सुरजमल

1/3 किशन लाल पुत्र स्व0 सुरजमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1/4 नानकी देवी पुत्री स्व0 सुरजमल

1/5 सरजू देवी पुत्री स्व0 सुरजमल

1/6 सुमित्रा देवी पुत्री स्व0 सुरजमल

1/7 बिदामी देवी पुत्री स्व0 सुरजमल

2. सुवालाल पुत्र कजोड़

3. श्रवण पुत्र कजोड़

4. विमला देवी पत्नि जगदीश पुत्रवधु कजोड़

5. मंजू देवी पुत्री जगदीश पौत्री कजोड़

6. हंसा देवी पुत्री जगदीश पौत्री कजोड़

7. औमप्रकाश पुत्र भैरूंराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

8. पिंकी पुत्री गोदी

9. रितू पुत्री गोदी

10. सरिता पुत्री गोदी

11. कोमल पुत्री गोदी

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम खोरा लाडखानी तहसील जमावारामगढ़ जिला जयपुर

12. पतासी पत्नि रूघा

13. शिम्भू पुत्र रूघा

14. महेश पुत्र रूघा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

15 मुकेश पुत्र रूघा

16 श्रवणी देवी पुत्री रूघा

17 गिरधारी पुत्र साधूराम

18 ग्यारसा पुत्र साधूराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर

19 पटवारी हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर

20 तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर

21 नायब तहसीलदार अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

श्री हनुमान सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री सरदार सिंह चौधरी, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 7 से 16 की ओर से।

श्री दीपक बाजिया एड0 प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 17 व 18 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से।

वादपत्र बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 689 रकबा 0.04

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हैक्टर गैरमुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 690 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 691 रकबा 6.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.03 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टर तन् ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित होकर 1/4 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम एवं शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 18 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार है। उक्त वर्णित भूमियॉ वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमिया है। जिनका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 1 दीगर भूमाफियाओं से साज कर रखी है। प्रतिवादी नम्बर 1 के मन में वर्तमान समय में जमीनो की बढ़ती हुयी कीमतो के कारण बदयांति आ गयी है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से वादीगण से वाद विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग करने में अवरोध कारित किया जाकर झगड़े फिसाद एवं मरमार करने पर प्रतिवादीगण उतारू हो जाते है। इसलिये उक्त भूमि का वादीगण का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादीगण अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एवं उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रहे है। इसलिये वादपत्र में वर्णित भूमि का कानूनन विभाजन करवाया जाना न्यायायित एवं आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी नम्बर 1 वादपत्र में वर्णित भूमि को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवाये ही भूमियों को दीगर भूमाफियों को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की धमकीयॉ दे रहा है व वादीगण को उनके हक हिस्से से हमरूम कर बेदखल करने की धमकीयॉ दे रहा है व कुचेष्टा कर रहा है जिनको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। वादीगण को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है। [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। [illegible] व [illegible] भूमि मुतनाजा का बंटवारा नहीं होने से वादीगण को सख्त [illegible] [illegible] नहीं होने से व प्रतिवादीगण की भूमि मुतनाजा में बेंजा हरकतों से [illegible]गण भूमि का तकास्मा करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट [illegible])
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाकर हिस्सेनुसार तन्हा खातेदारी अलग–अलग अंकित किया जाना व उसके अनुसार अलग–अलग कब्जा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है तथा प्रतिवादीगण को बिना बंटवारे के शामलाती अविभक्त शामलाती भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर निर्माण करने दीगर को बेचान करने या स्वयं का विशिष्ट भाग पर कब्जा करने का कोई कानूनी हक अधिकार किसी किस्म का नही है। प्रतिवादी नम्बर 1 बिना बंटवारा कराये वादपत्र में वर्णित भूमि को बढती हुयी कीमते के कारण उनके मन में बदयान्ति आने पर दीगर भूमाफियाओं को विशिष्ट भूभाग को बेचान करने एवं जबरन विशिष्ट भू भाग पर कब्जा कराने पर आमादा है। कहने सुनने से मान नही रहे है तथा धमकी दे रहा है कि हम हमारी ईच्छानुसार भूमि के विशिष्ट भाग पर कब्जा करके वादीगण को शामलाती भूमि से बेदखल करेगें तथा भूमि को अकृषि भूमि में बदलेगें एवं दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को विक्रय करेगें वादी प्रतिवादीगण ने उक्त शामलाती भूमि में विशिष्ट जगह पर स्वयं का कब्जा कर दिया या दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अंतरित कर दिया या भूमि में निर्माण कर लिया या कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील कर दिया तो वादीगण के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भरीर रूप से प्रभावित होगें। वादीगण अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर हमरूम हो जावेगें। अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढेगी, जिससे वादीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध एवं मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी हैं एवं प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निषेधाधा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा है। इसलिए वादीगण ने उपरोक्त भूमियों का बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो वह आजकल–आजकल करते रहे तथा प्रतिवादी [illegible] 28.05.2016 को भूमियों कानूनी बंटवारा करवाने से [illegible] के भूमियों के कीमती विशिष्ट एवं उपजाऊ [illegible] अतिक्रमण करने एवं कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर व्यक्तियों [illegible] अंतरित करने व उक्त भूमियों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर ([illegible])
श्रीमाधोपुर ([illegible])

जबरन ताकत के बल पर निर्माण करने की एहलानिया धमकी देने से वादकरण पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। खातेदार गुल्ला पुत्र पोखर जो कि अविवाहित फौत हो चुका है जिसके वारिसान मृत्तक रूघा के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 12 ता 16 में तथा खातेदार शिम्भूदयाल पुत्र कजोड फौत हो चुका है। जिसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नि दूसरी जगह नाते चली गयी थी। उसकी मृत्यु के बाद मृत्तक जगदीश के वारिस प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 6 है एवं धापली पत्नि कजोड की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण 4 ता 6 है। वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 689 रकबा 0.04 हैक्टर गैरमुमकिन कुंआ, खसरा नम्बर 690 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 691 रकबा 6.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.03 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टर तन् ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित होकर 1/4 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम एवं शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 18 के विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग–अलग बटा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम कियो जाने तथा अलग–अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने तथा प्रतिवादीगण नम्बर–1 ता 21 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई वादपत्र में दिनांक 24.11.2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन [illegible] श्रीमाधोपुर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त पक्षकारान् के द्वारा प्राप्त विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (कार्य...)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने से दिनांक 07.12.2017 को अन्तिम डिक्री पारित जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में पालना किये जाने हेतु लिखा गया था।

इस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांकित 07.12.2017 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालयों में अपील दायर हो जाने तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पारित निर्णय दिनांक 06.09.2019 के द्वारा इस न्यायालय की निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह विभाजन के नियम 18 से 21 की नियमानुसार पालना करते हुए वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आर0आर0टी0 पेज नम्बर 689 में प्रतिपादित सिद्धात अनुसार उभय पक्ष को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवाकर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम डिक्री बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करने बाबत निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में सुनवाई हेतु उभय पक्षकारान को अदालती नोटिस जारी किये जाने पर वादीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह नंगावा एड0 ने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 7 ता 16 की ओर से श्री सरदार सिंह चौधरी एड0 एवं प्रतिवादी नम्बर 2 व 4 से 6, 17, 18 की ओर से श्री शुभकरण सैनी एड0 एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 6, 17 व 18 की ओर से श्री दीपक बाजिया एड0 एवं वादीगण की ओर से श्री हनुमान सामोता एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामें पेश किए। प्रतिवादी संख्या–19 से 21 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक [illegible] होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या–19 से 21 के विरुद्ध [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र के तकास्मा, बंटवारा से संबंधित होने [illegible] वकील वादीगण ने प्रारंभिक डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

05/7/[illegible]
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बाबत इजराय हक्मनामा

जारी किए जाने निवेदन किए जाने एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरदार सिंह चौधरी एड0 व श्री नंदकिशोर यादव एड0 के द्वारा प्रारंभिक डिक्री जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने पर प्रकरण में पुनः प्रारंभिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर को वादपत्र के उभय पक्षकारान को सूचित करते हुए स्वयं मौके पर जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आर0 आर0 टी0 पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर न्यायालय को भिजवाए जाने हेतू दिनांक 05.05.2022 को प्रारंभिक डिक्री जारी किए जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिए पत्रांक 1418/भू.अ./22 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 एवं 17 व 18 ने एतराज आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किए गए। एतराज आपत्ति प्रार्थना पत्र का वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 16 ने जवाब दरख्वास्त पेश की जाने पर प्रकरण को बहस दरख्वास्त एतराज आपत्ति प्रार्थना पत्र में लिया जाकर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी जाने हेतू प्रकरण नियत किया गया। जिस पर उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान ने आपत्ति प्रार्थना पत्रों को निस्तारण करते हुए मूल वादपत्र का भी निस्तारण किए जाने का निवेदन किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रार्थना पत्र एतराज आपत्ति एवं मूल वादपत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान बहुपक्षीय सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकुलाय उभय पक्ष[illegible] बहस ध्यानपूर्वक सुनी एवं बहस पर सगौर मनन किया गया। दौराने बहस वकील [illegible] वकील प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 व वकील प्रतिवादी संख्या– 17 व 18 ने अपने द्वारा प्रस्तुत एतराज आपत्ति

सहायक कलेक्टर [illegible]
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थना पत्रों मे वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए अवगत कराया कि उपरोक्त उनवानी दावा हाजा मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील/डिकी/टीए/7516 व 7520/2018/सीकर उनवानी भीवाराम वगैरह बनाम सुरजमल व अन्य में निर्णय आदेश दिनांक 6.9.2019 को पारित फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय कमशः राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर निर्णय दिनांक 22.10.2018 एव न्यायलय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय व डिकी दिनांक 7.12.2017 निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह विभाजन के नियम 18 से 21 की नियमयानुसार पालना करते हुये वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आरआरटी पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार उभय पक्ष को सूचन देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तेयार करवा उभय पक्ष की आपत्तियों का निस्तारण करते हुये अंतिम डिकी बाबत विधि सम्मत निर्णय पारित करे। न्यायालय द्वारा आदेश कमांक/रीडर/470 दिनांक 12.05.2022 तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जारी कर उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार रक प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये परन्तु तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 23.5.2022 बिना वादीगण को सूचना दिये एवं बिना वादीगण के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाये मनमर्जी का प्रस्ताव बसाज विपक्षीगण एक पक्षीय तेयार करके न्यायालय में दिनांक 25.5.2022 को भिजवाया गया है उक्त विभाजन प्रस्ताव विधिक एवं संतुलित एवं नियमानुसार सही रूप से तैयार करके [illegible] गया हैं जबकि यहां यह उल्लेखनिय है कि भूमियों के [illegible] पश्चिमी तरफ सडक रास्ता है। विभाजन प्रस्ताव में कुआ खसरा नम्बर 689 को गलत जगह पर दिखाया गया है मौके

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (...)
श्रीमाधोपुर (नीमका...)

दर जहां स्थित है उस अनुसार नही दिखाया गया है। एतराज आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि एक पक्षीय विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 23.5.2022 निरस्ता किया जाकर भूमियों का विधिक एव संतुलित रूप से सही विभाजन प्रस्ताव नियमयानुसार तैयार करवाकर बनवाये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया हैं।

वही दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 3 एव 7 लगायत 16 की ओर से वादपत्र में प्रस्तुत आपत्ति ऐतराज प्रार्थना पत्रों द्वारा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 व वकील प्रतिवादी संख्या– 17 व 18 का संयुक्त रूप से जवाब दरख्वास्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दरख्वास्त एतराज आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने विभाजन प्रस्ताव 23.05.2022 बिना प्रतिवादीगण 4 ता 6 को सुचना दिये व बिना प्रतिवादीगण 4 ता 6 के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाने व मनमर्जी का प्रस्ताव तैयार करके न्यायालय में दिनांक 25.05.2022 को भिजवाया गया है। उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव एवं संतुलित एवं नियमानुसार नहीं होने का तथ्य सकारात्मक गलत व स्वीकार नहीं होने से यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./22/973-996 दिनांक 12.05.2022 के जरिये वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 को नोटिस जारी सूचित किया गया था जो पक्षकारान को नोटिस भी वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 23.05.2022 को उपस्थिती बाबत प्रेषित किये गये। जो नोटिस प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 को प्राप्त होना तथा न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
सहायक कलेक्टर [illegible]
श्रीमाधोपुर [illegible]

के निर्णय व डिक्री की पालना मे सभी पक्षकारो को सुचना देने के बाद पक्षकारो की उपस्थिती मे तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव के साथ उपस्तिती पक्षकारो कि उपस्थिती मे हस्ताक्षर मिमो तैयार कर पक्षकारान् के द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पढ सुनकर एव समझाकर हस्ताक्षर किये जाना तथा प्रार्थी एतराज कर्ता विभाजन प्रस्ताव के समय मौके पर उपस्थित थे। जिन्होने प्रस्ताव पर बिना किसी कारण के हस्ताक्षर करने से इन्कार किये जाने का तथ्य से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी एतराज कर्ता द्वारा इस मद में विभाजन प्रस्ताव बिना सुचना के एकपक्षीय तैयार करने का तथ्य गलत अंकन किया है। प्रार्थी एतराज कर्ता बिना किसी कारण के प्रकरण में देरी करना चाहते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यहा पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थी एतराज कर्ता ने प्रार्थना पत्र में यह अंकन नहीं किया कि विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार से निर्णय व डिक्री की पालना तैयार नहीं किया गया। यहॅा यह कथना करना भी जरूरी है कि विभाजन प्रस्ताव में कुआ खसरा नम्बर 689 में पूर्व की भाति जहॉ पर स्थित था। वही पर दिखाया गया है। कुऐ के नम्बर से प्रार्थी एतराज कर्ता के हित भी प्रभावित नहीं होते है। प्रार्थी एतराज कर्ता का मूल मकसद प्रकरण को देरीना कर गलत तथ्यों का अंकन कर प्रकरण का निपटारा करने में देरी करना चाहते है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस दरख्वास्त एतराज प्रार्थना पत्र पर सगौर मनन किया [illegible] रिकार्ड व दस्तावेजात एव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा [illegible] भिजवाए गए विधिक विभाजन प्रस्ताव इत्यादि का अवलोकन किया गया। [illegible]के अवलोकन से स्पष्ट होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व माननीय
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रदत्त आदेशो की पालना में वादपत्र के समस्त
पक्षकारों को जरिए पत्रांक 971–72 / भू.अ. / 22 दिनांक 12.05.2022 व जरिये पत्रांक 973
से 996 / भू.अ. / 22 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम अजमेरी के
भूमि खसरा नम्बर 689, 690, 691, 692 कुल किता 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टर के विभाजन
प्रस्ताव तैयार करने हेतू दिनांक 23.05.2022 को मौके पर उपस्थित मिलने बावत पक्षकारान्
व आपत्ति कर्त्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। जिनकी तामील तहसील कार्यालय
के तामील कुनिन्दा के द्वारा संबंधित पक्षकारों को करवाए जाना प्रकट होता है। जिसमें
वरवक्त मौका निरीक्षण में पक्षकारान में से कुल 15 – 20 पक्षकारों के मौके पर उपस्थित
मिलने तथा उनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर किया जाना
प्रकट होता हैं। वही आपत्तिकर्ता वादीगण मालीराम, भींवाराम, बनवारीलाल, धूडाराम
पुत्रगण छाजूराम, प्रतिवादीगण नम्बर 17 व 18 गिरधारी, ग्यारसा पुत्रगण साधुराम के
द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पढ–सुनकर व समझकर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जाना
प्रकट होता हैं। आपत्तिकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से वादीगण व प्रतिवादीगण को बिना
सूचना दिए एवं बिना उनके हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव पर करवाए मनमर्जी का प्रस्ताव
विपक्षीगणों से बसाज कर तैयार करते हुए वादग्रस्त भूमियों के दोनो तरफ पूर्वी एवं
पश्चिमी तरफ सडक रास्ता का सही विभाजन नही करना तथा खसरा नम्बर 689 कुंआ
को गलत जगह पर दिखाए जाने की आपत्ति [illegible] जिस पर पत्रावली पर
उपलब्ध दस्तावेजात व तसहीलदार [illegible] प्रस्ताव का अवलोकरन
करने पर यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार [illegible]धोपुर द्वारा खातेदारान पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
श्रीमाधोपुर [illegible]

वादीगण व प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण किए जाने से पूर्व मौके पर उपस्थित होने बजरिए नोटिस दिया जाना तथा वरवक्त मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित रहने वाले पक्षकारान व विभाजन प्रस्ताव को पढ समझने के उपरांत उन पर सहमति बतौर हस्ताक्षर नही किए जाने वाले व्यक्तियो की सूची बनाकर विभाजन प्रस्ताव के निर्धारित प्रपत्र मे अंकित किया गया है। जहा तक भूमि खसरा नम्बर 689 मे कुआ को गलत जगह पर दिखाए जाने का प्रश्न है वह कुंआ एक अचल संपति/भूमि के रूप में होता है जिसको राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सर्वे सीट नक्शा में दर्शितानुसार ही मौके पर दिखाया जाना प्रकट होता है। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आर.आर.टी. पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुरूप पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रकट होता है। यदि विभाजन प्रस्ताव के द्वारा किसी भी पक्षकारान को तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव से किसी भी प्रकार की आपत्ति या एतराज होता तो वो वरवक्त मौका निरीक्षण भूमिधारी तहसीलदार को अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए संशोधित विभाजन प्रस्ताव के लिए निवेदन कर उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाए जा सकते थे परन्तु पक्षकारान आपतिकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई तथ्य या आपत्ति भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष नही उठाया जाना प्रकट होता है। जिसके आधार पर वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3, 7 लगायत 16 की ओर से प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र एतराज आपत्ति को खारिज किए जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (...)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिए जाने के उपरांत वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगणों व प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादपत्र का अंतिम निस्तारण किए जाने हेतू बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान के निवेदन पर वादपत्र का अंतिम निस्तारण किए जाने हेतू वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रारंभिक डिक्री पालना में भिजवाए गए विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 25.05.2022 व संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर के इजराय आदेश कमांक 12075 दिनांक 13.12.2017 व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के डिकी/इजराय आदेश कमांक 68 दिनांक 13.12.2017 की पालना में मूल खसरा नम्बर 689 रकबा 0.0400 हैक्टर, गै.मु. कुआं, खसरा नम्बर 690 रकबा 0.0500 हैक्टर खसरा नम्बर 691 रकबा 6.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.0300 हैक्टर, गे0मु0 रास्ता कुल किता 4 कुल रकबा 6.6900 हैक्टर के नवीन खसरा नम्बर 689 रकबा 0.0400 हैक्टर खसरा नम्बर 692 रकबा 0.0300 हैक्टर खसरा नम्बर 899/690 रकबा 0.0100 हैक्टर खसरा नम्बर 904/691 रकबा 0.0600 हैक्टर खसरा नम्बर 913/691 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 0.1500 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 907/691 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं खसरा नम्बर [illegible]/691 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 898/690 रकबा 0.0200 हैक्टर [illegible] नम्बर 912/691 रकबा 0.8150 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8350 हैक्टर खसरा नम्बर 905/691 रकबा 0.6850

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खसरा नम्बर 910/691 रकबा 0.9500 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6350 हैक्टर एवं 900/690 रकबा 0.0200 हैक्टर खसरा नम्बर 901/691 रकबा 0.8200 हैक्टर खसरा नम्बर 902/691 रकबा 0.7950 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6350 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 903/691 रकबा 0.7550 हैक्टर खसरा नम्बर 911/691 रकबा 0.8800 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6350 हैक्टर के नामान्तरकण संख्या 253 दिनांक 26.10.2018 के द्वारा नवीन दर्ज किये गये हैं। जिनके अनुसार उक्त वादपत्र को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को मध्यनजर रखते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 25.05.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

03/02/24
सहायक कलक्टर (...)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार

विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. धूडाराम पुत्र छाजूराम जाति जाट हिस्सा 1/5 सा. देह राहिन बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजमेरी 2. बनवारी लाल पुत्र छाजूराम जाति जाट हिस्सा 1/5 राहिन बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजमेरी 3. भींवाराम पुत्र छाजूराम जाति जाट हिस्सा 1/5. राहिन बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजमेरी 4. मालीराम पुत्र छाजूराम जाति जाट हिस्सा 1/5, राहिन बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजमेरी 5. मन्नी देवी पत्नी छाजूराम जाति जाट हिस्सा 1/5, राहिन बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजमेरी	903/691 911/691/1	0.7550 0.8600	बारानी–1 बारानी–1	4.53 5.16
	योग खाता	किता – [illegible]	1[illegible]50		9.69
2	1. ग्यारसा पुत्र साधूराम हिस्सा [illegible] जाति जाट सा. देह खातेदार	905/691	0.6850	बारानी–1	4.11

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

03/02/24

	2. [illegible] पुत्र साधूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	910/691/2	0.9300	बारानी-1	5.58
	कुल योग	02	1.6150	बारानी-1	9.69
3	1. ओमप्रकाश पुत्र भैरु राम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह राहिन पंजाब नैशनल बैक शाखा हरदास का बास	900/690 901/691/1 902/691 03	0.0200 0.8000 0.7950 1.6150	बारानी-1 बारानी-1 बारानी-1 बारानी-1	0.12 4.80 4.77 9.69
	2. कोमल पुत्री गोदी हिस्सा 1/16 जाति जाट सा0 देह 3. पिंकी पुत्री गोदी हिस्सा 1/16 जाति जाट सा0 देह 4. रितु पुत्री गोदी हिस्सा 1/16 जाति जाट सा0 देह 5. सरिता पुत्री गोदी हिस्सा 1/16 जाति जाट सा0 देह 6. पतासी पत्नी रूघा हिस्सा 1/10 जाति जाट सा0 देह 7. शिम्भू पुत्र रूघा हिस्सा [illegible] जाट सा0 देह				

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

03/01/24
सहायक [illegible] ([illegible] देह)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	8. महेश पुत्र रूघा हिस्सा 1/10 जाति जाट सा0 देह 9. मुकेश पुत्र रूघा हिस्सा 1/10 जाति जाट सा0 देह 10. श्रवणी पुत्री रूघा हिस्सा 1/10 जाति जाट सा0 देह				
4	सुवा लाल पुत्र कजोड हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह	908/691/2 1	0.1950 0.1950	बारानी–1 बारानी–1	1.18 1.18
5	श्रवण पुत्र कजोड हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह बडोदा राज0 क्षेत्रीय बैक शाखा अजमेरी	909/691/2 1	0.1950 0.1950	बारानी–1 बारानी–1	1.18 1.18
6	1. बिमला देवी स्व0 पत्नी जगदीश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा0 देह 2. हंसा पुत्री जगदीश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा0 देह 3. मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा0 देह	907/691/2 1	0.1950 0.1950	बारानी–1 बारानी–1	1.18 1.18

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

03/02/24
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	खातेदारी सूरज मल पुत्र कजोड़ मल जाति जाट सा0 देह (फोत) जिसके वारिसान निम्न प्रकार है–	908/891/2 1	0.1950 0.1950	बारानी–1 बारानी–1	1.18 1.18
	1. फूली देवी पत्नी स्व0 सूरज मल हिस्सा 1/7 जाति जाट सा0 देह				
	2. महेन्द्र कुमार पुत्र सूरज मल हिस्सा 1/7 जाति जाट सा0 देह				
	3. किशन लाल पुत्र सूरज मल हिस्सा 1/7 जाति जाट सा0 देह				
	4. नान्छी देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/7 जाति जाट सा0 देह				
	5. सरजू देवी पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/7 जाति जाट सा0 देह				
	6. सुमित्रा देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/7 जाति जाट सा0 देह				
	7. बिदामी देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/7 जाति जाट सा0 देह				
8	1. फूली देवी पत्नी स्व0 [illegible] मल हिस्सा 1/28 जाति जाट सा0 देह	898/[illegible] 912/[illegible]	0.0200 0.8150	बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1	0.12 4.89

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (जाट देह)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

2. महेन्द्र कुमार पुत्र सूरज मल हिस्सा 1/28 जाति जाट सा0 देह 3. किशन लाल पुत्र सूरज मल हिस्सा 1/28 जाति जाट सा0 देह 4. नान्छी देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/28 जाति जाट सा0 देह 5. सरजू देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/28 जाति जाट सा0 देह 6. सुमित्रा देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/28 जाति जाट सा0 देह 7. विदामी देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/28 जाति जाट सा0 देह 8. विमला देवी स्व0 पत्नी जगदीश हिस्सा 1/12 जाति जाट सा0 देह 9. हंसा पुत्री जगदीश हिस्सा 1/12 जाति जाट सा0 देह 10. मन्जू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/12 जाति जाट सा0 देह	2	0.8350		5.01	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24

11 भूरा लाल पुत्र कजोड हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह 12 श्रवण पुत्र कजोड हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह बडोदा राज0 क्षेत्रीय बैंक शाखा अजमेरी				
9 1 धूडा राम पुत्र छाजू राम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0 देह राहिन बडोदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजमेरी	689	0.0400	गै.मु.कुआ	–
	692	0.0300	गै.मु.रास्ता	–
	899/690	0.0100	बारानी–1	0.06
	904/691	0.0600	बारानी–1	0.36
	913/691	0.0100	बारानी–1	0.06
2 बनवारी लाल पुत्र छाजू राम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0 देह राहिन बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजमेरी	901/691/2	0.0200	बारानी–1	0.12
	906/691/1	0.0050	बारानी–1	0.03
	907/691/1	0.0050	बारानी–1	0.03
	908/691/1	0.0050	बारानी–1	0.03
			बारानी–1	
3. भींवा राम पुत्र छाजू राम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0 देह राहिन बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजमेरी	909/691/1	0.0050	बारानी–1	0.03
	909/691/1	0.0200	बारानी–1	0.12
4. मालीराम पुत्र छाजू राम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0 देह राहिन	910/691/2	0.0200	बारानी–1	0.12

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
सहायक ... श्रीमाधोपुर (...)

बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजमेरी 5. मन्नी देवी पत्नी छाजू राम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0 देह राहिन बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजमेरी 6. ग्यारसा पुत्र साधू राम हिस्सा 1/8 जाति जाट सा0 देह 7. गिरधारी पुत्र साधू राम हिस्सा 1/8 जाति जाट सा0 देह 8. ओमप्रकाश पुत्र भैरू राम हिस्सा 1/16 जाति जाट सा0 देह राहिन पंजाब नैशनल बैंक शाखा हरदास का बास 9. कोमल पुत्री गोदी हिस्सा 1/64 जाति जाट सा0 देह 10. पिंकी पुत्री गोदी हिस्सा 1/64 जाति जाट सा0 देह					

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (कैम्प ...)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11. रितु पुत्री मोदी हिस्सा 1/64
जाति जाट सा0 देह
12. सरिता पुत्री मोदी हिस्सा 1/64
जाति जाट सा0 देह
13. पतासी पत्नि रूघा हिस्सा 1/40
जाति जाट सा0 देह
14. शिम्भू पुत्र रूघा हिस्सा 1/40
जाति जाट सा0 देह
15. महेश पुत्र रूघा हिस्सा 1/40
जाति जाट सा0 देह
16. मुकेश पुत्र रूघा हिस्सा 1/40
जाति जाट सा0 देह
17. श्रवणी पुत्री रूघा हिस्सा 1/40
जाति जाट सा0 देह
प्रतिवादी सूरज मल पुत्र कजोड मल
जाति जाट सा0 देह (फोत) जिसके
वारिसान निम्न प्रकार है–
18. फूली देवी पत्नी स्व0 सूरज मल
हिस्सा 1/112 जाति जाट सा0 देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमाधोपुर (सीकर)

19. महेन्द्र कुमार पुत्र सूरज मल हिस्सा 1/112 जाति जाट सा0 देह 20. किशन लाल पुत्र सूरज मल हिस्सा 1/112 जाति जाट सा0 देह 21. नान्छी देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/112 जाति जाट सा0 देह 22. सरजू देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/112 जाति जाट सा0 देह 23. सुमित्रा देवी पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/112 जाति जाट सा0 देह 24. बिदामी देवी पुत्री पुत्री सूरज मल हिस्सा 1/112 जाति जाट सा0 देह 25. बिमला देवी पुत्री स्व0 पत्नी जगदीश हिस्सा 1/48 जाति जाट सा0 देह 26. हंसा पुत्री जगदीश हिस्सा 1/48 जाति जाट सा0 देह 27. मन्जू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/48				

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
सहायक कलक्टर ([illegible])
श्रीमाधोपुर ([illegible])

...सुवा लाल पुत्र कजोड हिस्सा 1/16 जाति जाट सा0 देह				
29 श्रवण पुत्र कजोड हिस्सा 1/16 जाति जाट सा0 देह बडोदा राज0				
क्षेत्रीय बैक शाखा अजमेरी				

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1418/भू.अ./22 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05[illegible]2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:22 IST
Reason: SelfAttested